**संख्या-544/2021//118462/2021/23-11099(099)/29/2021**

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ :: दिनांक 01/12/2021

विषय:-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास खण्ड मुख्यालयों को दो लेन चौड़े मार्गों से जोड़ने से संबंधित 05 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-1710/101-02नि/20-21, दिनांक 26.11.2020, पत्रांक-3620नि/श्रावस्ती/2020-21, दिनांक 25.02.2021, पत्रांक-3605नि/मैनपुरी/2020-21, दिनांक 25.02.2021, पत्रांक-3603नि/इटावा/2020-21, दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक-3908नि/148-01नि/2020-21, दिनांक 16.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड हरिहरपुर रानी, जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन, जनपद वाराणसी के विकास खण्ड सेवापुरी, जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड जागीर एवं जनपद इटावा के विकास खण्ड ताखा मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु अधोतालिका के स्तम्भ-3 में अंकित कुल 05 मार्गों के निर्माण के लिए पी0सी0यू0 में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उनके सम्मुख अंकित लागत, जिनका कुल योग रू0 5319.21 लाख (रूपये तिरपन करोड़ उन्नीस लाख इक्कीस हजार मात्र) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागत के सापेक्ष अधोतालिका के स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि, जिनका कुल योग रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) है, व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | जनपद/खण्ड का नाम | कार्य का विवरण | स्वीकृत लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रावस्ती प्रा0खं0 | विकास खण्ड मुख्यालय हरिहरपुर रानी को दो लेन चौड़े मार्ग से जोड़े जाने हेतु तिलकपुर भंगहा मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 4.100 से 7.200 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 3.10 किमी0) | 867.17 | 20.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | हाथरस प्रा0खं0 | ब्लाक हसायन को दो लेन चौड़े मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग पी0बी0 मार्ग कि0मी0 200 से रति का नगला हसायन गड़ौला मार्ग पर ब्लाक हसायन तक (अ0जि0मा0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 5.90 किमी0) | 742.39 | 20.00 |
| 3 | वाराणसी नि0खं0भ0 | वाराणसी भदोही मार्ग (किमी0-26) से सेवापुरी ब्लाक तक मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 3.000 किमी0) | 2198.46 | 20.00 |
| 4 | मैनपुरी नि0खं0 | ब्लाक मुख्यालय जागीर को 02 लेन मार्ग से जोड़े जाने हेतु मैनपुरी भांवत किशनी मार्ग से जागीर ब्लाक तक मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 3.55 किमी0) | 619.06 | 20.00 |
| 5 | इटावा नि0खं0 | विकास खण्ड ताखा को जोड़ने हेतु भरतिया चौराहे से ताखा गॉव तक मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 5.60 किमी0) | 892.13 | 20.00 |
| | | कुल | 5319.21 | 100.00 |

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी। संबंधित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। अत: यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(11) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गयी शर्तों का विभाग द्वारा पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त कार्य विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जायेंगे।

(12) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-1347-पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-2280/दस-20212022, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी।
5- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।